BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 13 अक्टूबर, 2026 **थाना – स्याना**

02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया पर्स, 2000/- रुपये नकदी, आईडी कार्ड, अवैध चाकू व अवैध शस्त्र मय कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 13.10.2026 को थाना स्याना पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर आरोमा होटल के पास से 02 शातिर चोरों को चोरी किया गया पर्स, 2000/- रुपये नकदी, आईडी कार्ड, अवैध चाकू व अवैध शस्त्र मय कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना स्याना पर पंजीकृत अभियोगों में सुसंगत धाराओं की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. आदिल पुत्र शकील निवासी मौ0 मोती कालोनी सिकन्दर गेट थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।
2. नौशाद उर्फ कल्लू पुत्र मेहर इलाही निवासी मौ0 मोती कालोनी सिकन्दर गेट थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।

बरामदगी-

1- 01 पर्स (चोरी किया गया)
2- 2,000/- रुपये नकद
3- 01 आईडी कार्ड
4- 01 अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस व 01 अवैध चाकू।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का चोर हैं, जिसके द्वारा दिनांक 07.10.2026 को थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत चांद पुर चुंगी स्थित एक मकान से पर्स चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्याना पर मुअसं- 408/26 धारा 329(2)/324(4)/334(2)/305/317(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त आदिल का आपराधिक इतिहास:-

1. मुअसं- 408/26 धारा 329(2)/324(4)/334(2)/305/317(2) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 156/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड़।
3. मुअसं- 88/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड़।
4. मुअसं- 127/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
5. मुअसं- 58/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना हापुड नगर जनपद हापुड़।
6. मुअसं- 75/17 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली हापुड नगर जनपद हापुड़।
7. मुअसं- 125/19 धारा 392/411 भादवि थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।
8. मुअसं- 128/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।
9. मुअसं- 567/23 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना हापुड नगर जनपद हापुड़।

10. मुअसं- 141/24 धारा 308/323/504/506 भादवि व 3(1)ध/3(2)(द)(5ए)एससी/एसटी एक्ट थाना हापुड देहात जनपद हापुड़।

11. मुअसं- 333/26 धारा 323/376/504/506 भादवि धारा 3(2)/(5ए) एससी/एसटी एक्ट थाना हापुड देहात जनपद हापुड़।

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद उर्फ कल्लू का आपराधिक इतिहास:-

1. मुअसं- 408/26 धारा 329(2)/324(4)/334(2)/305/317(2) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 864/17 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद।
3. मुअसं- 861/17 धारा 379 भादवि थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद।
4. मुअसं- 274/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर।
5. मुअसं- 544/26 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद।
6. मुअसं- 879//21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद।
7. मुअसं- 137/21 धारा 504/506/427/323/147 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री रामनारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
2. उ0नि0 मनीष यादव, उ0नि0 दर्शन सिंह।
3. है0का0 गौरव कुमार, है0का0 हासिम अली, है0का0 अमित कुमार, का0 श्रवण कुमार, का0 राजवीर सिंह, का0 अमित कुमार, का0 अर्पित चाहर, का0 कृष्ण कुमार कौशिक, का0 पंकज।



मीडिया सैल बुलन्दशहर।